

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. एफ 3-8-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (1) में, शब्द “प्रमुख सचिव/सचिव”, के स्थान पर, शब्द “प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव” स्थापित किये जायें;
2. प्रारूप-एक में, शब्द “प्रमुख सचिव/सचिव”, के स्थान पर, शब्द “प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव” स्थापित किये जायें.

No. F. 3-8-2011-One-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhinyam, 2011 (No. 8 of 2012), the State Government, hereby, makes the following amendemnts in the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012, nemely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) in rule 6, in sub-rule (1) for the words “Principial Secretary/Secretary”, the words “Principial Secretary/Secretary/Deupty Secretary” shall be substituted;
- (2) in Form-I for the words “Principial Secretary/Secretary”, the words “Principial Secretary/Secretary/Dupty Secretary” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.